न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या—35/19 दायर दिनांक— 05.04.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00068

1. बिरमा बेवा मुंशीलाल जाति मीणा निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन हाल तह. श्रीमहावीर जी, जिला करौली।

—सायल

बनाम

1. रामचरण पुत्र हल्के
2. लोकेश पुत्र रामचरण
3. विक्रमबाई पत्नि लोकेश
4. शिवकुमार पुत्र रामचरण
5. केशन्ती पत्नि रामचरण
6. हल्के पुत्र सुंदर

} जातियान मीणा निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीर जी, जिला करौली।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तह. श्रीमहावीर जी।
8. सब रजिस्ट्रार श्रीमहावीर जी जिला करौली।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमहावीर जी जरिये शाखा श्रीमहावीर जी।

—— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता प्रार्थी
2.अप्रार्थी 1 ता 9 के खिलाफ एक पक्षीय कारवाई।

<u>निर्णय दिनांक 28.03.2024</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायल व गैरसायलान संख्या 1 ता 6 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं जिसमें सायला का ददीय ससुर सुंदर पुत्र हरचन्द मीणा निवासी कोडिया था जिसके चार पुत्र चिरंजी, किशोरी, लोहच्या, व हल्के थे। सुंदर की समस्त आराजीयात चारों पुत्रों को विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें आपस में पैत्रक संपत्ति का विभाजन कर [illegible] करवा लिया। सायला के ससुर हल्के के हिस्से में आराजी खसरा नं 1010 रकबा 0.15 [illegible] 1089 रकबा 0.15 है0, 1105 रकबा 0.32 है0, 214 रकबा 0.13 है0, 44 रकबा 0.30 है0, 547 [illegible] 0.15 है0, 566 रकबा 0.05 है0, 886 रकबा 0.31 है0, कुल किता 8 रकबा 1.56 है0 वाके मौजा कोडिया तह. हिण्डौन जिला करौली में आई थी, जिसकी खातेदारी सायला के ससुर हल्के के नाम [illegible] ली आ रही थी। हल्के ने अपने तन्दुरूस्त रहते वर्ष 1987 में उक्त आराजी का विभाजन अपने दोनों पुत्र रामचरण और मुंशीलाल के बीच कर दिया। तथा दोनों को अपने अपने 1/2—1/2 की खातेदारी भूमि देकर कब्जा संभला दिया तब से उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा रामचरण व 1/2 हिस्सा मुंशीलाल काश्त करते चले आ रहे हैं। जब भूमि का विभाजन हुआ था उस समय मुंशीलाल की शादी भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:59:03 IST
Reason: SelfAttested

श्री रामचरण अपने बालबच्चों को लेकर अलग हो गया जिसके करीब 1 वर्ष के बाद मुंशीलाल की शादी सायला के साथ हुई थी। सायला के गर्भ से एक पुत्री प्रियंका पैदा हुई जिसका सायला ने अपने पति के देहांत के कुछ वर्ष पश्चात ग्राम भेलापाडा में नटवर पुत्र हरिचरण मीणा के साथ शादी संपन्न करा दी जो अपनी ससुराल में प्रसन्नचित्त निवास कर रही है। अपने पति मुंशीलाल के हिस्से की 1/2 आराजी को सायला लगातार काश्त कर रही है लेकिन सायला का ससुर हल्के जीवित होने के कारण उक्त आराजी की खातेदारी उसी के नाम चली आ रही है।

सायला के ससुर की तबीयत वृद्धावस्था व बीमारी के कारण काफी खराब रहती है और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होने के कारण सोच विचार व निर्णय लेने में समर्थ नहीं है जिसका नाजायज लाभ उठाकर सायला का जेठ रामचरण व उसके पुत्रगण षडयंत्र रचकर सायला को उसके हिस्से की आराजी से वंचित करने की दृष्टि से सायला के ससुर से हल्के की हिस्से की खातेदारी के विरूद्ध कोई भी दस्तावेज उपपंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाने की फिराक में है। गैरसायलान सं0 1 ता 5 ने सायला को एलानिया धमकी दी है कि हम जबरन बयनामा, दानपत्र, वसीयत आदि कराकर भूमि से वंचित कर देंगे, हमारा तुम्हारे बेटी दामाद कुछ नहीं करेंगे । सायला ने गैरसायलान को संमझाया किन्तु नहीं माने, गैर सायलान पूर्व में धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जिन्हें न्यायालय ने जमानत मुचलके से शांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। भूमि रोड के सहारे होने के कारण अच्छी कीमत हो जाने के कारण हड़पना चाहते हैं। मौके पर सायला का हिस्सा 1/2 का चला आ रहा है। सायला विधवा, कमजोर, अकेली महिला है। गैरसायलान खूंखार, गिरोहबंद, लठैत व्यक्ति हैं जो लठ्ठ व ताकत के बल पर सायला को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते हैं, एवं आये दिन सायला को तंग व परेशान करते हैं। वाकया दिनांक 29.10.2018 को गैरसायल सं0 1 ता 5 ने सायला को गाली गलौच करते हुए एलानिया धमकी दी और भूमि से बेदखल करने को कहा गया इस कारण सायला को उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी में सायला के हिस्से 1/2 में किसी प्रकार का रहन व वसीयत, दानपत्र नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र सायला का दर्ज पंजिका कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें गैरसायल सं0 1 ता 6 की ओर से श्रीजनकराम अधिवक्ता ने दिनांक 04.10.2019 को अंडरटेकिंग देते हुए वकालत नामा पेश करने का समय चाहा किन्तु गैरसायल सं0 1 ता 6 की ओर से दिनांक 04.10.2019 से 27.07.2021 तक वकालत नामा पेश किया ना ही उपस्थित हुए, इसी प्रकार से गैरसायल सं. 07 ता 09 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर गैरसायल सं0 1 ता 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वकील सायला की एक पक्षीय बहस सुनी गई, एक पक्ष के बहस सुनने पर सायला की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में जमावंदी संवत 2018 –2022 जमावंदी हाल, मिलान क्षे0, ग्राम पंचायत चांदन गांव का प्रमाण पत्र व परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति पेश होने पर, जमावंदी संवत 2018–2022 में खाता सं0 143 में साबिक खसरा नं0 554/1, 554/2, 1112, 1144, 33, 65, 114, 137, 155, 506, 509, 689, 610, 909, 954, 955, 1015, 1028 कुल किता 17 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम कोडिया में खातेदार सुंदर पुत्र हरचंद मीणा के नाम दर्ज है। तथा इस [illegible] मिलान क्षे0 से जो कि सायला के ससुर हल्के के नाम बंटवारा से प्राप्त साबिक खसरा [illegible] 3 मि[illegible] 44, 155 का 214, 690 का 547, 674 का 566, 938 का 886, 50[illegible] 509, 510 का 1010 [illegible] का 1105 नवीन आराजी कायम कर आज भी जमावंदी संवत [illegible] में खातेदारी [illegible] पुत्र सुंदर जाति मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सरपंच ग्राम पंचायत चांदन ग्राम व परिवार [illegible] कार्ड के अनुसार सुंदर के दो पुत्र रामचरण व मुंशीलाल तथा मुंशीलाल के स्वर्गवास हो जा[illegible] पर उसके वारिस सायला तथा उसकी पुत्री प्रियंका का होना बताया गया है। गैर सायलान द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सायला का प्रार्थना पत्र प्राईमापेशी एवं सुविधा का संतुलन है। उपर्युक्त विवेचन से यह साबित हो रहा है कि जमावंदी संवत 2018–2022 के अनुसार भूमि सायला के ददिया ससुर सुंदर के नाम खातेदारी रही है जो पैत्रक भूमि साबित हो रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2024.09.25 11:59:03 IST
Reason: SelfAttested

है तथा ग्राम पंचायत चांदन गांव के प्रमाण पत्र तथा परिवार राशन कार्ड से सुंदर के दो पुत्र रामचरण व मुंशीलाल साबित हैं। मुंशीलाल फौत होने पर उसके विधिक वारिस सायला व उसकी बेवा बिरमा बाई है। विधि के अनुसार पैत्रक भूमि पर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा तथा अपने नाम खातेदारी अधिकार हिस्सा प्राप्त करने का है इस प्रकार से इस विवादित आराजी में सायला के पति मुंशीलाल को अपने बाबा यानि सुंदर पुत्र हरचंद की भूमि को अपने हिस्सा अनुसार लेने का पूर्ण अधिकार है तथा शपथ पत्र अनुसार गैरसायलान, सायला की 1/2 हिस्सा यानि हल्के पुत्र सुंदर मीणा के नाम पूर्ण खातेदारी होने तथा हल्के की मानसिक स्थिति तथा बीमारी का नाजायज लाभ उठाकर अपने व अपने पुत्रों के नाम पैत्रक भूमि का रहन व आदि कराने की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को पाबंद करना उचित समझते हैं।

हमने सायला अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि संयुक्त खाते की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं। तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचीदगीयां पैदा नहीं हो इसे मद्धेनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नं0 1010 रकबा 0.15है0, खसरा नं0 1089 रकबा 0.15है0, खसरा नं0 1105 रकबा 0.32है0, खसरा नं0 214 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 44 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 547 रकबा 0.15है0, खसरा नं0 566 रकबा 0.05है0, खसरा नं0 886 रकबा 0.31है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.56 है0 बाके ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन हाल तह0 श्रीमहावीर जी में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की रिकार्ड की स्थिति ताफैसला बनाए रखें। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/03/2024
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:39:03 IST
Reason: SelfAttested